परिपत्र

रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/परिपत्र सं.3/2020-21
26 अक्टूबर, 2020

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (आ.वि.कं.)

महोदय/महोदया,

विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान के अनुदान हेतु योजना (01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक)

कोविड-19 की अप्रत्याशित एवं चरम स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने विनिर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को "छह महीने अर्थात 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक के लिए राहत के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान के अनुदान हेतु योजना को मंजूरी दे दी है।

2. इस योजना के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान हेतु बेंचमार्क तथा तौर-तरीकों को संलग्न परिचालन दिशानिर्देशों में विस्तृत रूप से दिया गया है।

3. तदनुसार, आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं) को इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संलग्न अनुदेश एवं दिशानिर्देशों के अनुसार इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु निर्देश दिया गया है।

4. आ.वि.कं. को सूचित किया जाता है कि यह भी सुनिश्चित करें कि इस योजना के अंतर्गत देय अनुग्रहपूर्वक राशि को पात्र उधारकर्ता के खाते में दिनांक 05 नवंबर, 2020 तक या उससे पूर्व जमा करना होगा, जिसे आ.वि.कं. नवीनतम प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे को दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक इस संबंध में एसबीआई द्वारा अधिसूचित विवरण के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में नामित

अधिकारी/प्रकोष्ठ को दर्ज कर सकती है। आवास वित्त कंपनियों की शिकायतों का समाधान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से एसबीआई में नामित प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाएगा।

5. इसके अतिरिक्त, सभी आवास वित्त कंपनियां इस योजना के जारी होने की तिथि से, उपयुक्त स्तर पर पात्र उधारकर्ताओं के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करेंगी जो कि उनकी इस योजना से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगी।

भवदीय,

ह.
(विनीत सिंघल)
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग

संलग्नः यथोपरि